P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-6* February- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

राजस्थान विधान सभाओं में महिलाओं की भागीदारी : समस्याएँ एवं सम्भावनाएँ

सारांश

भारत की सभ्यता लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है, जिसमें परिवार एवं समाज ने लगातार विकास किया है, परन्तु विकास के इन विविध चरणों में महिलाओं को वह यथोचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी वह हकदार है। इसमें संदेह नहीं है कि आज महिला ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति दर्ज करायी है, परन्तु अधिकांश क्षेत्रों में 33 प्रतिशत आरक्षित कोटा प्राप्त करने के बावजूद भी यह उपस्थिति नगण्य है। बहुत आश्चर्य की बात है कि भारतीय संविधान ने महिला के सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया है, परन्तु वास्तव में यह सशक्तिकरण केवल सतही स्तर पर है। विश्व की लगभग आधी आबादी महिलाएँ होने के बावजूद में सत्ता के पायदान पर महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत नगण्य है। प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान राज्य में विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी से जुड़े विविध पक्षों पर प्रकाश डालने का एक प्रयास है।

मुख्य शब्द : विधान सभाएँ, महिलाएँ, राजनीति।

वैशाली देवपुरा
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय,
उदयपुर, राजस्थान

प्रस्तावना

भारत के संविधान द्वारा महिला एवं पुरूष की स्थिति को समान माना गया है लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की रही है। महिलाओं की इस स्थिति के पीछे अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण उत्तरदायी है। समय एवं विकास के साथ महिलाओं ने विविध क्षेत्रों में अपनी भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वाह भी किया है लेकिन राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका आज भी अचिन्हित है। किसी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है कि महिलाएँ जीवन के सभी क्षेत्रों एवं निर्णय निर्माण संस्थाओं में अपनी सकारात्मक भागीदारी का निर्वाह करें।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान राज्य की विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी का स्तर, समस्याएँ एवं सम्भावनाओं को जानने का प्रयास किया गया है।

कम्बोडिया की एक कहावत के अनुसार स्त्री रूई है, पुरूष हीरा है। यदि रूई कीचड़ में गिरा दी जाए तो वह हमेशा गन्दी रहेगी, परन्तु यदि हीरा कीचड़ में गिर जाए तो उसे फिर से साफ किया जा सकता है। इस कहावत से पुरूष और नारी का जो अन्तर उभरकर आता है वह पूरे प्रदेश–देश और यहाँ तक कि दुनिया की एक शाश्वत सच्चाई है। इस अन्तर का आधार नारी को प्रकृति से प्राप्त मातृत्व है और प्राणी शास्त्र के इस नियतिवाद ने स्त्री की जीवन, परिवार और समाज में भूमिका परिभाषित की है जो पुरूष से पूर्णतया भिन्न थी। आधी मानव जाति जो कि स्त्री है, एक प्रकार का अल्पसंख्यक वर्ग बन गई तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपेक्षित रही क्योंकि शक्ति, प्रभुत्व व सत्ता उसके पक्ष में नहीं थे।

भारतीय संविधान द्वारा इस अन्तर को समाप्त करने का प्रयास किया गया और महिलाओं को पुरूषों के समान राजनीतिक अधिकार, समानताएँ व स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई। प्रत्येक स्त्री को पुरूष के समान सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने और देश की विधान निर्मात्री सभाओं में नीति निर्माता के रूप में अपनी सेवाएँ देने की स्वतंत्रता दी गई। संविधान में स्त्री और पुरूष में कोई अन्तर नहीं किया गया और दोनों को समान स्वतंत्रता व अधिकार मिले परन्तु लगभग 70 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी सत्ता के सौपानों पर महिलाएँ हाशिए पर है। यह न केवल राज्य अपितु राजनीतिक दलों की भी पितृ सत्तात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है। संविधान द्वारा प्रदत्त इस स्वतंत्रता व अधिकारों का प्रयोग जितना

पुरूषों ने किया है, उतना महिलाओं ने नहीं। जिस देश की सर्वोच्च शासक एक महिला रही हो, वहाँ क्या आम स्त्री आज भी अपने संविधानिक अधिकारों का प्रयोग कर पाती है? क्या उसको समाज में समानता की वह स्थिति प्राप्त है, जिसका दावा हमारा समाज करता है? स्वतंत्रता के बाद भी क्या महिला नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व की सशक्त भूमिका दिखाई देती है? इन सब प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं।

संविधानिक विकास के क्रम में महिलाओं की भागीदारी एक विशेष वर्ग तक सीमित रही है। यदि कोई साधारण महिला सक्रिय राजनीति में प्रवेश का प्रयास करती है तो उसे अपने परिवार के किसी पुरूष के सहारे की आवश्यकता होती है या उन्हें उनके परिवार के पुरूष राजनीति में लाते हैं और उन्हें सत्ता के सौपानों पर बिठा दिया जाता है, क्योंकि वह आज भी स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखते हुए भी असमर्थ महसूस करती है।

राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे महिलाएँ पंच, सरपंच, प्रधान व सभापति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुई और उनके भागीदारी प्रतिशत में वृद्धि भी हुई है लेकिन यह वृद्धि महिलाओं के राजनीतिक व्यक्तित्व के विकास का कारण नहीं बन पाई। 21वीं सदी के इस दौर में भी राजस्थान की पंचायतों में महिलाएँ घूंघट में आती हैं और अपने पिता, पति या पुत्र अथवा पुरूष साथियों द्वारा लिये गये निर्णयों पर अंगूठा लगाती है, जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनकी भागीदारी स्थानीय केन्द्रों में संख्यात्मक होते हुए भी नगण्य है। जब तक समाज में महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी विचारधारा व्याप्त है तब तक उनकी स्वतंत्र व निष्पक्ष भागीदारी सम्भव हो पाना कठिन है।

साहित्यावलोकन

गुप्ता आलोक कुमार, भण्डारी आशा; महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, 2001 में उल्लेखित है कि महिलाओं को घर की चार–दीवारी से बाहर निकालकर जब तक निर्णय निर्माण संस्थाओं में भागीदार नहीं बनाया जायेगा तब तक राजनीति को स्वच्छ आधार प्रदान करना सम्भव नहीं होगा। जब तक देश की आधी मानव शक्ति का राजनीति और प्रशासन में प्रवेश नहीं होगा तब तक राजनीति को सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता।

Baviskar B.S., Mathew George; Inclusion and Exclusion in Local Government : Field Studies from Rural India, 2009, राष्ट्रीय स्तर का शोध है जो बारह राज्यों के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण से संबंधित है। यह शोध स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एवं सशक्तिकरण से संबंधित है। इस शोध के द्वारा किये गये क्षेत्रीय अध्ययन विविध ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता एवं भागीदारी का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं।

सिंघल विपिन कुमार; भारत में महिला सशक्तिकरण : समस्याएँ एवं चुनौतियाँ, 2017, भारत में महिला सशक्तिकरण से जुड़े विविध पक्षों का अध्ययन करती है। आनुभाविक अध्ययन के माध्यम से इसमें महिला विकास के समक्ष उपस्थित सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं एवं महत्वपूर्ण चुनौतियों का उल्लेख किया है। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को भी विकास के विविध स्वरों पर समान भागीदार बनाया जाये।

कुमारी अर्चना; भारत में महिलाओं का राजनीतिक नेतृत्व : विविध आयाम, 2015 में लेखिका महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सम्पूर्ण समाज के उत्थान के लिए आवश्यक मानती है, जो कि वर्तमान सन्दर्भों की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। महिला नेतृत्व को विकसित करने के लिए सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं समाज को सशक्त प्रयास करने होंगे। साथ ही आवश्यक है कि महिलाएँ स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने और आत्मविश्वास के साथ आगे आये।

राजस्थान विधान सभा में महिला प्रतिनिधित्व

राजस्थान भारत के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमाओं से जुड़ा हुआ एक पिछड़ा राज्य है। आजादी से पूर्व यहाँ स्वतंत्र देशी रियासतें थी, जिसके कारण यहाँ प्राचीनकाल से ही परम्पराओं, रीति–रिवाजों व रूढ़ियों की जड़े अत्यधिक गहरी है। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे और यहाँ की परम्पराएँ स्त्री के सम्बन्ध में अधिक नकारात्मक रही है। आज भी स्त्री दोयम दर्जा रखती है। यद्यपि इस क्षेत्र ने देश की राजनीति में महारानी गायत्री देवी, राजमाता कृष्ण कुमारी, लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत, डॉ. गिरिजा व्यास, श्रीमती वसुन्धरा राजे, श्रीमती किरण माहेश्वरी जैसे कुशल राजनेता महिलाएँ दी है, परन्तु फिर भी शिक्षा का अभाव, स्त्री साक्षरता का निम्न प्रतिशत, सामाजिक रूढ़िवादिता, आर्थिक पिछड़ापन आदि के कारण यहाँ आम महिलाओं की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छी नहीं है। विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की महिलाएँ एवं ग्रामीण महिलाएँ स्वतंत्रता, समानता व अधिकार जैसे शब्दों से भी अनभिज्ञ है। यही कारण है कि प्रदेश की विधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 68,548,437 है, जिसमें से 32,997,440 महिलाएँ है। राजस्थान महिला–पुरूष अनुपात प्रति हजार पुरूषों पर 928 है। पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होने का कारण भ्रूण हत्या, कुपोषण एवं उत्पीड़न व शोषण के कारण महिलाओं की अल्पायु में मृत्यु है। यहाँ आज भी कई स्थानों पर कन्या के जन्म को अच्छा नहीं समझा जाता है। प्रदेश में साक्षरता की दर 66.11 प्रतिशत है, जिसमें से 79.19 प्रतिशत पुरूष तथा 52.12 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं। (स्त्रोत : भारत की जनगणना, 2011)

हालांकि महिला साक्षरता का यह प्रतिशत गत जनगणना की तुलना में अधिक है। 1991 में स्त्री साक्षरता 20.44 प्रतिशत, परन्तु महिलाओं का बहुसंख्या भाग अशिक्षित होने के कारण अपने अधिकारों व राजनीतिक भागीदारी के प्रति अनभिज्ञता रखता है।

संविधान द्वारा विधान सभा सदस्यता के लिए शिक्षा, जाति, धर्म, लिग और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। देश का कोई भी

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-6* February- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

नागरिक विधान सभा सदस्य के लिए यदि निर्धारित योग्यता रखता है तो वह विधान सभा सदस्य बन सकता है। संविधानिक समानता के बावजूद भी राजस्थान की विधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है और पुरूषों का बाहुल्य है, जो कि निम्न तथ्यों से स्पष्ट है:–

1. 1952 के पहली विधान सभा चुनाव में 4 महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया, परन्तु इनमें से कोई भी नहीं चुनी गई। श्रीमती कमला (1954) व श्रीमती यशोदा देवी (1953) उपचुनावों में निर्वाचित हुई और विपक्ष में कोई महिला विधायक नहीं थी। श्रीमती कमला 13 नवम्बर, 1954 को उपमंत्री बनी।
2. 1957 के दूसरी विधान सभा चुनाव में 21 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 9 महिलाएँ निर्वाचित हुई।
3. 1962 के विधान सभा चुनाव में 16 महिला उम्मीदवार थीं, जिनमें से 8 विजयी रहीं। इनमें से लक्ष्मी कुमार (भीम) विधान सभा की कई समितियों की सभापति रही। बाद में वे प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा रहीं व राज्य सभा की सदस्य भी बनी।
4. 1967 के चौथी विधान सभा चुनाव में 19 महिला उम्मीदवार थीं, जिनमें से 6 महिलाएँ विजयी हुई। इनमें से श्रीमती प्रभा व श्रीमती सुमित्रा उपमंत्री व राज्यमंत्री रहीं।
5. 1972 की पाँचवीं विधान सभा में 13 महिलाओं ने चुनाव जीता। विपक्ष में कोई भी महिला चुनाव नहीं जीत सकी।
6. 1977 की छठी विधान सभा में कांग्रेस से 5 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें से केवल मदन कौर व सुमित्रा सिंह विजयी रहीं। जनता पार्टी की ओर से डॉ. उजला अरोड़ा, श्रीमती विधा पाठक, पुष्पा जैन, गुणवन्त कुंवर, श्यामा कुमारी जीत पर आयीं।
7. 1980 की सातवीं विधान सभा में 8 महिलाएँ विजयी हुई।
8. 1985 की आठवीं विधान सभा में सर्वाधिक 15 महिलाएँ जीत कर आयी।
9. 1990 की नौवीं विधान सभा में 11 महिलाएँ निर्वाचित हुई, जिनमें वे 5 भारतीय जनता पार्टी, 4 जनता दल व 2 कांग्रेस की थी।
10. 1993 की दसवीं विधान सभा में 9 महिलाएँ विजयी रहीं, जिनमें से शशि दत्ता विधि मंत्री व बीना काक पर्यटन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहीं।
11. 1998 के ग्यारहवीं विधान सभा चुनाव में 13 महिलाएँ विजयी रही है।
12. 2003 के बारहवीं विधान सभा चुनाव में 12 महिलाएँ निर्वाचित हुई।
13. 2008 की तेरहवीं विधान सभा में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 13 रही।
14. 2013 के विधान सभ चुनाव में 28 महिलाएँ विजयी रही।

उपरोक्त विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है:–

<u>राजस्थान की विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिशत (1952–2013)</u>

विधान सभा काल	कुल सदस्य संख्या	महिला सदस्य संख्या	प्रतिशत
1952	140	2	1.40
1957	136	9	6.61
1962	176	8	4.55
1967	184	7	3.80
1972	184	13	7.65
1977	200	8	4.0
1980	200	6	3.0
1984	200	17	8.5
1990	200	11	5.5
1993	200	9	4.5
1998	200	13	6.5
2003	200	12	6.0
2008	200	13	6.5
2013	200	28	14.0

(स्त्रोत : सांख्यिकीय शाखा, विधान सभा भवन, जयपुर।)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान विधान सभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत सर्वाधिक 8.5, 1984 एवं 2013 में 14.5 रहा है। केवल एक बार राजस्थान विधान सभाओं में 200 में से 21 महिलाएँ पहुँच पाई है, जबकि प्रदेश में स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्री की शिक्षा में व्यापक प्रसार हुआ है। स्त्री में जागरूकता बढ़ाने, उन्हें स्वावलम्बी बनाने, शिक्षित करने और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कानून व कल्याणकारी योजनाएँ बनाई गई। इन सबके बावजूद प्रदेश की सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

राजस्थान विधान सभा में महिला विधायकों की कमी राजनीति में महिलाओं की स्थिति पर व्यापक बहस के द्वार खोलती है। जहाँ 1952–1957 के विधान सभा चुनावों में बिहार व मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों में भी क्रमशः 3.6 व 10.70 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व रहा है, वहीं राजस्थान में यह 0.0 प्रतिशत रहा है। विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में महिला प्रतिनिधित्व के प्रतिशत को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया जा सकता है:–

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-6* February- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

राज्य	1952–57	1960–65	1970–75	1979–83	1993–97	2003–08	2013–17
राजस्थान	0.0	4.5	7.1	5.0	4.5	6.5	14.0
बिहार	3.6	7.9	3.8	3.7	3.4	4.5	14.8
उत्तर प्रदेश	1.2	4.4	5.9	5.6	4.0	7.6	8.0
पश्चिम बंगाल	0.8	4.8	1.6	2.4	6.3	6.4	12.0
आन्ध्र प्रदेश	2.9	3.3	9.1	4.1	2.7	5.4	12.0
मध्य प्रदेश	10.70	5.5	5.7	5.6	5.3	6.5	11.0

उपरोक्त तालिका विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में महिला प्रतिनिधित्व की अल्प दशा को प्रदर्शित करती है। अतः इस प्रकार विभिन्न राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर कहा जा सकता है कि केवल राजस्थान में ही नहीं अपितु अन्य राज्यों की विधान सभाओं में भी महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत निम्न है, जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है:–

राज्य विधान सभा में महिला प्रतिनिधित्व (2017)

क्र सं	राज्य	विधान सभा में सीटों की संख्या	महिला प्रतिनिधि की संख्या	प्रतिशत
1	आन्ध्र प्रदेश	294	34	12
2	अरूणाचल प्रदेश	60	02	03
3	असम	126	14	11
4	बिहार	243	34	14
5	गोवा	40	01	2.50
6	गुजरात	182	16	8.79
7	हरियाणा	90	09	10
8	हिमाचल प्रदेश	68	05	7.35
9	जम्मू–कश्मीर	87	03	3
10	कर्नाटक	224	03	1.34
11	केरल	140	07	5.00
12	मध्य प्रदेश	230	25	11
13	महाराष्ट्र	288	11	04
14	मणिपुर	60	03	05
15	मेघालय	60	01	03
16	मिजोरम	40	00	00
17	नागालैण्ड	60	00	00
18	ओड़िसा	147	07	05
19	पंजाब	117	14	11
20	राजस्थान	200	28	14
21	सिक्किम	32	04	13
22	तमिलनाडु	234	17	07
23	त्रिपुरा	60	03	5
24	उत्तर प्रदेश	403	32	08
25	पश्चिम बंगाल	70	34	12
26	एनसीआर	70	03	6
27	पोण्डिचेरी	30	00	00
28	छत्तीसगढ़	90	11	12
29	झारखण्ड	81	08	10
30	उत्तराखण्ड	70	05	7
	योग	**4120**	**336**	**7.33**

(स्त्रोत : Websites of respective Assemblies, Election Commission of India)

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण आज न केवल देश का वरन् सम्पूर्ण विश्व का एक अहम सवाल बन चुका है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की सशक्त भागीदारी उनका अधिकार है। केवल मताधिकार व प्रतीक के रूप में कुछ महिलाओं के निर्वाचन का मनोनयन से कुछ नहीं होने वाला, व्यापक परिवर्तन तभी आयेगा जब अधिकाधिक महिलाएँ राजनीति में भाग लेंगी। इसको मद्देनजर रखते हुए संसद में आरक्षण बिल रखा जाना तय

किया गया लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ राजनीतिक दलों की हठधर्मिता व महिला विरोधी दृष्टिकोण के कारण यह संसद में प्रस्तुत ही नहीं हो पाया। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का दावा सभी राजनीतिक दल करते हैं परन्तु व्यवहार में वे इसे स्वीकार नहीं कर पाये हैं। वर्तमान में यह मुद्दा बहुत विवादास्पद है। अतः इसका भविष्य अभी अनिश्चित है। कुछ पुरूष सांसदों ने अपने भविष्य को अन्धकारमय मानते हुए संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विरोध किया है, क्योंकि इससे सत्ता के सर्वोच्च पायदान पर पुरूष वर्चस्व कमजोर हो जायेगा। पुरूष सत्तावादी शक्तियाँ अपनी पूरी ताकत के साथ इस विधेयक को रोकने के लिए सामने आयी हैं। इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के लिए आरक्षण जैसी सुविधा प्राप्त कर सत्ता के गलियारों तक पहुँच पाना फिलहाल एक दिवा स्वप्न लगता है।

इसके अतिरिक्त ऐसे कई अन्य कारण है जो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में बाधक हैं। 'कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वूमेन इन इण्डिया' की रिपोर्ट 'Towards Equality' में महिलाओं की इस अल्प भागीदारी के लिए सरकारी, सामाजिक विश्लेषकों, शिक्षा प्रणाली, राजनीतिक दल, मीडिया, श्रमिक संगठन व महिला संगठनों को दोषी ठहराया गया है, क्योंकि ये संविधान द्वारा प्रदत्त लैंगिक समानता का अर्थ ही नहीं जान पाये हैं।

इसी से मिलती–जुलती तस्वीर राजस्थान के परिपेक्ष में नजर आती है। हालांकि प्रत्येक वह क्षेत्र जो कभी केवल पुरूषों का वर्चस्व क्षेत्र माना जाता था, वहाँ महिलाओं ने प्रवेश कर अपनी कार्य क्षमता का परिचय दिया है, परन्तु राजनीति के क्षेत्र में निर्णायक और जागरूक महिला नेतृत्व का अभाव सा नजर आता है। लोकतांत्रिक संस्थाएँ स्त्रियों की क्षमता से क्यों वंचित है? इसका अध्ययन करने पर कुछ निशिचित कारण सामने आते हैं, जो निम्न हैः–

सामाजिक कारण

राजस्थान एक परम्परावादी सामन्ती राज्य है, जहाँ रनिवासों में कैद नारियाँ बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाई है। यही कारण है कि यहाँ महिला संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाई है। सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों का राजनीति में प्रवेश बुरा माना जाता है। जब कोई स्त्री इस क्षेत्र में जाना चाहती है तो उसे समाज का विरोध सहन करना पड़ता है। उस पर चरित्रहीनता के दोष लगाये जाते हैं। महिलाओं के आने–जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है, क्योंकि लिंग भेद हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक बड़ा अभिशाप है। लड़की को पराया धन मानकर उसमें व लड़के में अन्तर किया जाता है। उसके सब निर्णय उसका परिवार लेता है, जिसमें पिता, पुत्र या पति की भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त कई सामाजिक कुरीतियाँ भी इसके लिए उत्तरदायी है, जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, पितृ सत्तात्मकता आदि। सामाजिक अन्धविश्वास के कारण वह मातृत्व का बोझ झेलती रहती है व असमय ही मृत्यु का शिकार हो जाती है।

सामान्यतया राजस्थान में महिलाओं की राजनीति में प्रवेश कभी अपने नेता पति की मृत्यु के पश्चात्, किसी विशेष वर्ग की प्रतिनिधि होने के कारण अथवा पारिवारिक माहौल में राजनीति व्याप्त होने के कारण हुआ है। मोहन लाल सुखाड़िया की मृत्यु के बाद इन्दू बाला सुखाड़िया का सांसद बनना, राजेश पायलट के बाद रमा पायलट, गायत्री देवी, कृष्णा कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, वसन्धुरा राजे आदि का राज परिवार से संबंधित होना इस तथ्य को प्रमाणित करता है।

शिक्षा का अभाव

शिक्षा चेतना, जागृति व स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करती है। राजस्थान में महिला शिक्षा की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है। क्षेत्र की लगभग 66 प्रतिशत महिलाएँ निरक्षर है, जिन्हें संविधान द्वारा दिये गये अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। यही उनकी पराधीनता का कारण है। स्वयं पर होने वाले अत्याचार व उत्पीड़न को वह अपनी नियति समझती है, क्योंकि वह इनके विरूद्ध बनाये गये कानूनों के अनजान है। आज भी प्रदेश में लगभग 70 प्रतिशत बालिकाएँ 12 वर्ष की उम्र के बाद स्कूल का मुँह नहीं देख पाती और उनका विवाह कर दिया जाता है या घर में खाना कौन बनायेगा? खेतों में कौन काम करेगा? जैसे प्रश्न उसके सामने खड़े कर दिये जाते हैं। जब इसके विरूद्ध आवाज उठायी जाती है तो उसकी परिणिति भंवरी देवी काण्ड के रूप में होती है। इसके विपरीत जो स्त्रियाँ शिक्षित हैं, आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी हैं वे भी राजनीति को दूषित मानते हुए अथवा पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह के कारण उसे स्वीकार नहीं कर पाती है।

आर्थिक कारण

महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता पुरूषों की तुलना में नगण्य है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरूष पर निर्भर रहना पड़ती है। कामकाजी महिलाएँ भी अपनी इच्छा से व्यय नहीं कर पाती है, जिससे उनमें आत्मविश्वास एवं स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिला विकास असम्भव है। एक सामान्य महिला परिवार और कृषि कार्यों में अनुमानतः 10 से 16 घण्टे काम करती है, परन्तु उसके इन घरेलू कार्यों का आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया जाता। विभिन्न असंगठित क्षेत्रों में लगभग 90 महिलाएँ कार्य करती हैं। इन सबके बावजूद यह आर्थिक रूप से कमजोर है। हालांकि राजस्थान सरकार अब इस के लिए प्रयास कर रही है व कुछ सरकारी नौकरियों में महिला वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान भी रखा गया है किन्तु इस दिशा में अधिक सकारात्मक प्रयासों की आवश्यकता है।

राजनीतिक कारण

प्रजातंत्र में राजनीतिक दल निर्वाचन व्यवस्था का आधार है। राजनीतिक दलों के समथर्न के अभाव में कोई भी प्रत्याशी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता लेकिन अधिकांश राजनीतिक दल महिलाओं को अपना उम्मीदवार नहीं बनाते जबकि प्रत्येक दल राजनीति में उनको भागीदारी दिलाने का दावा करता है। प्रत्येक राजनीतिक दल के शीर्ष पदों पर सामान्यतः पुरूष ही है और वे

राजनीति में महिलाओं की सफलता को संदेह की दृष्टि से देखते है। प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी महिलाओं को प्रत्याशी नहीं बना पाते हैं। इसी कारण महिलाएँ राजनीति में अपनी भागीदारी नहीं दे पाई है। इसके अतिरिक्त राजनीति में निरन्तर बढ़ती हुई हिंसा, अपराधीकरण, चरित्र हनन, भ्रष्टाचार के कारण भी आम परिवारों की महिलाएँ सक्रिय राजनीति में आना पसन्द नहीं करती है। राजनीति में धन और बाहुबल के बढ़ते प्रयोग के कारण महिला पुरूष के समान भागीदार नहीं हो पाती है।

मनोवैज्ञानिक कारण

बाल्यावस्था से ही लड़कियों के मन में असुरक्षा व हीन भावना का विकास किया जाता है। वे अकेली कुछ नहीं कर सकती, उनका दायरा सीमित है, बिना पुरूष संरक्षण के वह घर से बाहर नहीं जा सकती इत्यादि–इत्यादि। उम्र बढ़ने के साथ–साथ वह पराश्रिता, असुरक्षा व हीन भावना मजबूत होती जाती है। अन्तरमुखी व्यक्तित्व स्थायी रूप से उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। वयस्क होने पर भी वह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती है। बचपन से ही 'तुम्हारा कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी है' सुनने वाली महिला बड़ी होकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर निर्णय निर्माता की भूमिका का निर्वाह कैसे कर सकती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि बनने के लिए साहस, शिक्षा, पारिवारिक सहयोग, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता व वाक् चातुर्य का होना आवश्यक है। परन्तु ऐसे मनोवैज्ञानिक दबाव वाले वातावरण के कारण आम महिला में इन गुणों का विकास नहीं हो पाता है। अतः वे जन प्रतिनिधि संस्थाओं में प्रवेश नहीं कर पाती हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार उपरोक्त कारणों ने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बाधित किया है, उनकी स्थिति को दोयम दर्जे का बना दिया है और एक बड़ी शक्ति होते हुए भी महिला अशक्त हो गयी है।

राजस्थान की राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व : भविष्य एवं सम्भावनाएँ

यद्यपि वर्तमान में राज्य विधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, परन्तु 21वीं सदी में आशा की जा सकती है कि आने वाले वर्ष महिला की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी को नई दिशा देंगे। राज्य राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि की सम्भावनाओं को निम्न कारणों से स्पष्ट किया जा सकता हैः–

1. राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत राजव्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देने से महिलाएँ लोकतांत्रिक संस्थाओं की आधारभूत राजनीति में प्रवेश कर चुकी हैं। इससे उनके राजनीतिक जीवन की जड़े मजबूत हुई है। स्थानीय संस्थाओं में प्रवेश करने से महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रतिनिधित्व की एक पीढ़ी तैयार हो रही है। यहाँ काम करने से इन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण मिल रहा है। भले ही आज महिलाएँ इन संस्थाओं में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय नहीं ले पा रही है पर ये शुरूआत है। आगे चलकर यही महिलाएँ प्रदेश की राजनीति में अपना स्थान बना सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा इन्हें प्रशिक्षित किये जाने तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इन्हें साक्षर करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं, जिससे कि ये अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके।
2. राजस्थान के पिछले विधान सभा चुनावों में यदि महिला प्रत्याशियों की संख्या का अध्ययन किया जाए तो उनमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। जहाँ 1967 में 7 महिला प्रत्याशी विजयी हुई, वहीं 1998 में 13 महिला प्रत्याशी एवं 2013 में 28 महिलाएँ निर्वाचित हुई। यह इस बात का प्रमाण है कि अब स्त्रियों की सक्रिय राजनीति में रूचि बढ़ रही है व देश के नीति निर्माण में महिला अपना सहयोग देना चाहती है।
3. प्रदेश में महिला शिक्षा का प्रचार–प्रसार तेजी से हो रहा है। महिला शिक्षा निःशुल्क कर दिये जाने से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है व कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। 1991–2001 के दशक में स्त्री साक्षरता में दुगुनी से अधिक वृद्धि हुई है। 1991 में जहाँ स्त्री साक्षरता का प्रतिशत 20.44 था, वहीं 2001 में बढ़कर 44.34 प्रतिशत एवं 2011 में 52.12 प्रतिशत हो गया है। शिक्षा व आर्थिक स्वावलम्बन से महिलाओं में आत्मविश्वास व जागृति उत्पन्न हुई है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा विशेष आरक्षण दिये जाने से उनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता निश्चय ही बढ़ेगी, जो उन्हें सक्रिय राजनीति में प्रवेश के लिए प्रेरित कर सकती है।
4. प्रदेश की राजनीति में पिछले कई आम चुनावों से मध्यम वर्गीय शिक्षित महिलाओं का प्रवेश हुआ है। ये महिलाएँ समाज की आम स्त्री, दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग की स्त्रियों की भी भागीदारी बढ़ाना चाहती है। इनका स्थान नारी उत्थान व स्वावलम्बन की ओर है। यही कारण है कि आज अधिकांश महिला राजनीतिज्ञों द्वारा संसद व विधान सभा में स्त्रियों को आगे लाने की मांग की जा रही है। साथ ही राजनीति में प्रवेश करने वाली महिलाओं को पिछले कुछ वर्षों से महत्व व सम्मान दिया जाने लगा है।
5. सामान्यतः समझा जाता है कि सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में महिलाएँ सफल नहीं हो पाती है परन्तु राजस्थान में स्वाधीनता आन्दोलन काल से लेकर स्वतंत्रता के पश्चात् प्रदेश की राजनीति में प्रवेश करने वाली अनेक महिलाओं ने प्रशंसनीय कार्य किये हैं और यह सिद्ध किया है कि वे पुरूषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है।
6. जो महिलाएँ राजनीति में प्रवेश करना चाहती है एवं इस क्षेत्र में नयी है, उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे ही वे किसी राजनीतिक पद के लिए निर्वाचित हो, उन्हें किसी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र से उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व के सन्दर्भ में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे कि वे अधिक दक्षता के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकें।
7. स्थानीय स्तर पर महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण आवश्यक है। इसमें समाज, परिवार,

राजनीतिक दल, पुरूष नेतृत्व, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों और महिला संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

8. महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कराने में मीडिया, स्वयं सेवी संगठन, नागरिक समाज एवं सरकार महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। महिला नेतृत्व को सही दिशा देने एवं सशक्तिकरण प्रदान करने में इनकी अहम् भूमिका होनी चाहिए।
9. महिला नेतृत्व स्वयं पुरूषों के अनुसार नहीं बल्कि स्वयं के निर्णयों के प्रति आत्मविश्वास रखे। महिलाएँ स्वयं सम्मेलनों का आयोजन, रैली निकालने, नेतृत्व देने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। उनमें आत्मविश्वास एवं जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है, जिससे कि वे भी अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर सकें।

इस प्रकार शिक्षा, जागरूकता, दक्षता निर्माण, अनुभव, क्षमता, प्रशिक्षण, स्वैच्छा, आत्मविश्वास, प्रेरणा एवं सकारात्मक सामाजिक सोच के माध्यम से महिलाएँ राजनीति में अन्य क्षेत्रों के समान ही अपनी प्रतिभा एवं दक्षता का यथोचित प्रदर्शन कर सकती है। तभी सही मायनों में वे समाज में अपनी सशक्त उपस्थिति प्रस्तुत कर सकेंगी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *शर्मा अशोक (2016); भारत में स्थानीय स्वशासन, आर.बी.एस.ए. जयपुर।*
2. *भण्डारी रमेश (2009); पंचायती राजव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और स्थिति, नेहा प्रकाशन, नई दिल्ली।*
3. *जैन पुखराज एवं फड़िया (2014); भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन, आगरा।*
4. *Barskar, B.S. & Mathew, George (2009); Inclusion and Exclusion in Local Governance: Field Studies from Rural India. California, U.S., SAGE Publications Ltd.*
5. *Joshi, M. Yagnesh (2013); Women Leadership in Panchayati Raj System. Neha Publishers, New Delhi.*
6. *Tasnim Shamina (2013); Political Empowerment of Women in Urban Local Government. London, Lambert Academic Publishing.*
7. *Kumar Sarvan and Yadav Pankaj (2016); History and Administrative Structure of Rajasthan Panchayati Raj. Imperial Journal of Interdisciplinary Research.*
8. *World Development Report (2012); Gender Equality and Development.*
9. *Website of Respective Assemblies, Election Commision of India.*